सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-6 23 मार्च से 6 अप्रैल, 2015 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 2 रुपये

महान नेता कार्ल मार्क्स की मृत्यु वार्षिकी पर कोलकाता में केन्द्रीय कार्यालय में उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एसयूसीआई(सी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती

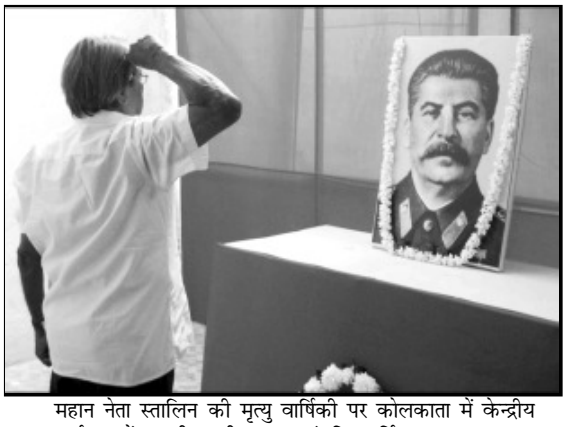

महान नेता स्तालिन की मृत्यु वार्षिकी पर कोलकाता में केन्द्रीय कार्यालय में उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर लाल सलाम देते हुए एसयूसीआई(सी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल

अमीरों के लिए स्मार्ट ढांचे की खातिर लाखों गरीबों की तबाही

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की मौजूदा भाजपा सरकार ने जाहिराना तौर पर विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की खातिर संसद को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में एक अध्यादेश को अंजाम दिया(जिसे बाद में बिल के रूप में लोकसभा में रखा गया और नाममात्र के संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया)। एक प्रधानमंत्री के लिए जिसने संसद में प्रवेश किया ऐसे एक भक्त का अभिनय करते हुए जैसे कि वह जनतंत्र के पवित्र मंदिर में प्रवेश कर रहा हो, वास्तव में ही यह एक धर्मपरायणता से जनतांत्रिक कृत्य था! और उनकी जनतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार ने संसद का सामना करने की बजाय नितांत गैर-जनतांत्रिक अध्यादेश का रास्ता अपनाया जो नई बात नहीं थी, मात्र 250 दिनों के कार्यकाल में यह ग्यारहवां अध्यादेश था।

मौजूदा अध्यादेश-बिल और इसकी पृष्ठभूमि

इसका मकसद भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कानून, 2013 (लैण्ड एक्वीजीशन, रीहेब्लीटेशन एण्ड रीसेटलमेण्ट एक्ट) जिसे जन भाषा में भूमि अधिग्रहण कानून कहा जाता है, को संशोधित करना है जिसे कांग्रेस-नीत यू. पी.ए. की पिछली सरकार ने पास किया था। इस अध्यादेश में निम्नलिखित प्रावधान हैं: नम्बर एक, पाँच 'विशिष्ट क्षेत्रों' को समाहित किया गया है जैसे गरीबों के लिए सस्ते मकान, रक्षा साजो-सामान उत्पादन सहित देश की रक्षा क्षमताएं, सामाजिक आधारभूत ढांचे के लिए पी.पी.पी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप) प्रोजेक्ट जिसमें निजी स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, औद्योगिक गलियारे और ग्रामीण आधारभूत ढांचा जैसे सड़क और बिजली। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह दावा किया गया है कि इन विशेष या प्रमुख कैटेगरियों के प्रोजेक्टों की खातिर भूमि खरीदने के मापदण्डों को अध्यादेश-बिल ढीला करता है। नम्बर दो, ऐसे प्रोजेक्टों के लिए न तो भूमि मालिकों की कोई अनिवार्य सहमति, न ही भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आंकलन जरूरी होगाा जो कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार अब तक जरूरी था। नम्बर तीन, इन प्रोजेक्टों की खातिर भूमि अधिग्रहण के लिए उपजाऊ और 'गैर उपजाऊ' या सिंचित और गैर-सिंचित के बीच फर्क करने की अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। नम्बर चार, अध्यादेश सरकार को अधिकार देता है कि वह व्यक्तिगत उद्योगपतियों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। नम्बर पाँच, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार प्रोजेक्टों पर लगाई गई पाँच वर्ष की उस समय सीमा को भी अध्यादेश-बिल के जरिए हल्का कर दिया गया है जिसके बाद बिना इस्तेमाल पड़ी रह जाने पर भूमि को उसके मालिकों को लौटा देना था।

यहाँ उस पृष्ठभूमि को याद करना उपयुक्त होगा जिसमें देश ने भूमि अधिग्रहण सम्बंधित मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को अंजाम दिया। यह पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सिंगूर-नन्दीग्राम के दौरान हुआ कि भूमि के मालिकों की सहमति या बिना सहमति उपजाऊ कृषि भूमि का जबरन अधिग्रहण करना, साथ ही साथ ऐसे अधिग्रहणों के सामाजिक प्रभाव आंकलन का सवाल जैसे मुद्दे सामने आ गए थे। औद्योगिकीकरण के नाम पर देशी-विदेशी एकाधिकारी पूँजीपतियों को खैरात में देने के लिए सिंगूर और नन्दीग्राम के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बहुफसली जमीन हड़पने की खातिर राज्य की सीपीआई(एम)-नीत फ्रण्ट सरकार ने ब्रिटिश जमाने के 1894 के पुराने कानून का लाभ उठाया था। एकाधिकारी पूँजीपति और उनकी जी हुजूरी करने वाली सरकार एक बहुमूल्य वस्तु के रूप में 'भूमि' को हड़पने के लिए लगता है अचानक अति सक्रिय हो गई थी। इसी तरह कि घटनाएं अन्य पार्टियों द्वारा शासित अन्य राज्यों जैसे उड़ीसा के कलिंग नगर, दिल्ली-यू.पी. सीमा के नजदीक दादरी इत्यादि में भी घटने लगी थी। सिंगूर और नन्दीग्राम के ऐतिहासिक आन्दोलनों से प्रेरणा लेते हुए अन्य राज्यों के किसानों ने भी कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण का प्रतिरोध करने के लिए आन्दोलन गठित किए। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीपीएम-नीत सरकार ने उपजाऊ भूमि हड़पने के अपने कदम को जायज ठहराने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किए गए 1894 के कानून का सहारा लिया था इसलिए आन्दोलन के भंवर से मांग उठी थी कि इस औपनिवेशक भूमि कानून को बदला जाए, जिसमें अन्य बातों के अलावा शहरीकरण की वजह से जमीन की बढ़ती कीमतों को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

महिलाओं के बारे में जेडी(यू) सांसद की भद्दी टिप्पणी की एसयूसीआई (सी) ने की घोर निन्दा और उनके निष्कासन की मांग

14 मार्च 2015 को एसयूसीआई (सी) महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया:

13 मार्च को राज्य सभा में बीमा बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए दक्षिण भारतीय महिलाओं के बारे में जेडी(यू) सांसद शरद यादव द्वारा की गई अति घृणित, बहुत ही आपत्तिजनक, भद्दी और कुत्सित टिप्पणी की हम घोर निन्दा करते हैं। ऐसी एक घटिया टिप्पणी जिससे एक विकृत मानसिकता और स्त्रीद्वेषी नजरिए की बू आती हो ऐसे एक व्यक्ति को शोभा नहीं देती है जो संसद में लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बैठता है। यह भी समान रूप से निन्दनीय है कि तमाम पार्टियों के लगभग सभी पुरुष सदस्यों ने प्रतिवाद करने की बजाय ऐसी एक गंदी टिप्पणी का लुत्फ उठाया जो दर्शाता है कि उनका सांस्कृतिक स्तर कितना नीचे गिर गया है। एक एनसीपी सदस्य डी पी त्रिपाठी तो कालीदास के कामोत्तेजक काव्यों से उद्धरण देकर इसको और चटपटा बनाने की हद तक चले गए। इससे और भी ज्यादा शर्मनाक है जब डीएमके सांसद कनीमोजी ने महिलाओं की मर्यादा के जानबूझ कर किए गए ऐसे अपमान का विरोध किया तो अन्य पुरुष सदस्य उन्हें शांत करने लग गए मानो यह कोई गंभीर मामला नहीं था बल्कि सिर्फ एक मजाक था।

जब देश में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या कर देने सहित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और निहित स्वार्थों एवं प्रतिक्रियावादियों द्वारा महिलाओं को मात्र एक आमोद-प्रमोद की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने और इस प्रकार समाज के नैतिक आधार को तबाह करने का समग्र प्रयास हो रहा है, तब देश की कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के एक सदस्य की ऐसी एक टुच्ची टिप्पणी स्थिति को और भी बदतर बनाएगी और महिलाओं की मर्यादा पर हमला करने में अपराधियों को प्रोत्साहित करेगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि श्री यादव को तुरन्त सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाए और उनके खिलाफ उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाए और सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए अन्य सभी को जिन्होंने कुत्सित व्यंग में उनका साथ दिया था कड़ी चेतावनी दी जाए

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल..

(पृष्ठ 1 का शेष)

संज्ञान में नहीं लिया जाता था और यह प्रावधान था कि सिर्फ मालिकों को ही मुआवजा दिया जाएगा तथा अन्य किसी को नहीं जो उस भूमि से आजीविका कमाते थे जैसे बटाईदार किसान, बर्गादार, खेतिहर मजदूर एवं आबादी के अन्य तबके। इसलिए उस कानून को संशोधित करने की मांगों का मुख्य अभिप्राय था उन सभी को पर्याप्त बचाव और सुरक्षा मुहैया कराना जो अपने जीवन और रोजी-रोटी के लिए लक्षित भूमि पर आश्रित थे। इस प्रकार, मालिक किसानों की सहमति हासिल करने, भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव को आंकने और उसके बाद प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने और उचित तरीके से पुनर्वास करने का सवाल नए सिरे से आया।

भाजपा अब उसे ही संशोधित कर रही है जिसे पास करने में इसने मदद दी थी

आन्दोलन के दबाव ने कांग्रेस-नीत यूपीए केन्द्रीय सरकार को पुराने 1894 के कानून को संशोधित करने के लिए मजबूर कर दिया था। सात साल के लम्बे अर्से तक चली लम्बी चर्चा के बाद यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बनाया था। इसे भाजपा सहित संसद में सभी प्रमुख पार्टियों की सहमति से 2007 व 2009 में बनी दो संसदीय स्थाई समितियों से गुजरने के बाद ही पास किया गया था, दोनों समितियों का नेतृत्व वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने किया था जो उस समय संसद में विपक्ष में थी। ग्रामीण विकास पर स्थाई समिति जिसका नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि लोकसभा की मौजूदा स्पीकर भाजपा की सुमित्रा महाजन ने किया था। इसकी 31वीं रिपोर्ट ने सार्वजनिक उद्देश्य जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की जानी हो उसकी परिभाषा को अंधाधुंध विस्तारित करने से यूपीए सरकार को रोका था और उस धारा को भी हटा देने की सिफारिश की थी जो ढांचागत प्रोजेक्टों को परिभाषित करने की सरकार को व्यापक छूट देती थी। कमेटी ने यह सिफारिश भी की थी कि सरकार द्वारा पी.पी.पी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप) और निजी कम्पनियों के इस्तेमाल के लिए भूमि अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए और ''सार्वजनिक उद्देश्य'' की परिभाषा को भी राज्य-प्रायोजित प्रोजेक्टों तक सीमित रखना चाहिए। इसके अलावा इसने ग्राम सभा के लिए न सिफ सहमति के मामलों में बल्कि सभी मामलों में एक बड़ी भूमिका का पक्ष लिया था और सामाजिक प्रभाव आंकलन में मदद के लिए यही रास्ता सुझाया था। यहाँ तक कि हाल ही में अगस्त 2014 में मौजूदा मोदी सरकार द्वारा कानून के लिए नियमों को बनाया गया और घोषित किया गया था।

पहले का भूमि अधिग्रहण कानून 2013

जो भी हो, जबरन भूमि अधिग्रहण के प्रति लोगों के प्रतिरोध के अकाट्य दबाव के तहत एल ए आर आर एक्ट 2013 लाया गया था, जिसमें अनेकों धाराओं को शामिल किया गया था। यहाँ मुआवजे और पुनर्वास-पुनर्स्थापना के सवाल थे। इस सम्बंध में यह जोड़ा गया था कि जब सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी तब 80% और पीपीपी प्रोजेक्टों के लिए 70% मालिकों की सहमति अधिग्रहण के लिए अनिवार्य होगी। यह भी प्रावधान था कि तथाकथित विकास के लिए आबंटित अधिग्रहित भूमि यदि पांच सालों तक बिना इस्तेमाल किए पड़ी रहती है तो इसे मालिकों को वापस दे देना होगा।

लेकिन कानून में कई खामियाँ थी जिनमें भूमि हड़पने वालों के लिए बचने का रास्ता छोड़ दिया गया था। अधिग्रहण-पुनर्वासन-पुनर्स्थापन की पूरी प्रक्रिया अफसरशाही और कानूनी दावपेंचों से भरी हुई थी जो किसानों के लिए भयावह थी। 'भूमि मालिकों' को तो संज्ञान में लिया गया था लेकिन भूमिहीन मजदूरों, बटाईदार किसानों और भूमि तथा कृषि पर जिन्दा रहने वाले अन्यों की विशाल संख्या को 'अन्य प्रभावित परिवारों' की श्रेणी में डाल दिया गया था। पहले की यू.पी.ए. सरकार ने मालिकों को पाँच वर्षों बाद इस्तेमाल नहीं की गई भूमि को वापस दिए जाने के प्रावधान को कभी भी अमल में लाने का प्रयास नहीं किया। जैसा कि गत नवम्बर में भारत के महालेखा नियंत्रक ने संसद में बताया कि सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोनों के लिए अधिग्रहित की गई 45,635 हैक्टेयर भूमि में से एक तिहाई से ज्यादा, 38% लम्बे अर्से से बिना इस्तेमाल के पड़ी हुई है। नवी मुम्बई में सेज के लिए हथियाई गई 1250 एकड़ भूमि 2006 से ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इसे मूल मालिकों को वापस नहीं दिया गया है। संयोगवश यह सेज मुकेश अम्बानी को फायदा पहुँचाने लिए था जो एक अगुआ उद्योगपति और मौजूदा मोदी सरकार के दोस्तों-फिलासफरों-मार्गदर्शकों में से एक हैं।

कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल

इस मुद्दे के साथ जुड़े और भी कुछ अति महत्त्वपूर्ण और मूलभूत सवाल हैं। इसकी प्रकृति के अनुरूप लोगों के लिए भूमि एक स्थाई सम्पत्ति है। यह न केवल चन्द किसानों का बल्कि उनके परिवारों का भी पेट पालती है और वह भी उनकी पीढ़ियों तक। यह उनके जीने के अधिकार के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। क्या उनसे भूमि का जबरन हड़पा जाना उनको जीने के अधिकार से वंचित करना नहीं है? यदि तर्क की खातिर मान लिया जाए कि भूमि लेने की जरूरत है तब भी इन सवालों के जवाब कौन देगा? क्या मुआवजे की कोई भी राशि असल में लोगों की जमीन के इस नुकसान की भरपाई कर सकती है जिस पर वे पीढ़ियों से जिन्दा रहते आए हैं? सरकार या कम्पनियाँ किसकी भरपाई करती हैं? भरपाई करती हैं सिर्फ कुछ व्यक्तियों की, एक पीढ़ी की, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी का क्या हाल होगा? इसके अलावा, गहन औद्योगिक मंदी निरन्तर बढ़ती बेरोजगारी आकाश छूती महंगाई और पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा हर घड़ी पैदा की जा रही ऐसी अन्य व्याधियों से लोग तबाह हैं। कितनी देर तक मुट्ठी भर मुआवजा इस तबाही के सामने टिकेगा? फिर 'पुनर्वासन और पुनर्स्थापन' का सवाल है। राज्य, इसकी सरकार और भूमि हड़पने वाले शार्को द्वारा चुने गए भूमि के टुकड़े पर लोग क्या वास्तव में ही पुनर्स्थापित हो सकते हैं उसके एवज में जहाँ वे परम्परागत रूप से रहते और काम करते आए हैं? ये और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो जरूरी बना देते हैं कि यदि वास्तव में ही भूमि की जरूरत थी और अधिग्रहित करनी थी तो इसे क्या इन और अन्य सामाजिक प्रभावों के व्यापक आंकलन के बिना किया जा सकता है?

ये तमाम सवाल चर्चा में थे जब कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने एलएआरआर एक्ट 2013 को प्रस्तावित और रूपायित किया। उस समय विपक्ष में बैठी भाजपा ने भी उपरोक्त सवालों में से इस या उस को उठाया था। अब यह खुद केन्द्र और कुछ राज्यों में सरकारी सत्ता में बैठी है। तो भी, कानून को पूरी तरह लागू किए जाने और किसी सरकार केन्द्र या राज्य द्वारा जांचे परखे जाने से पहले ही मोदी सरकार ने यह गलतफहमी पैदा करनी शुरू कर दी कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 देश की विकास जरूरतों के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए इसके संशोधन की तुरन्त जरूरत है। और अंततः मंत्रीमण्डल के तीन वरिष्ठ सदस्य 2014 की आखिरी रात को देश के राष्ट्रपति के पास आ धमके और उनके द्वारा नए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए ताकि नव वर्ष आगमन से पहले ही यह प्रभावकारी हो जाए।

भाजपा अपने पलटी मारने को जायज ठहरा रही है।

इतनी जल्दबाजी क्यों? केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने अपने फैसले को यह कहते हुए जायज ठहराया कि विकास की खातिर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए संशोधन जरूरी था। यह कहा गया कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 105 ने यह जरूरी बना दिया था कि लैण्ड एक्वीजीशन (माईन्स) एक्ट 1885, नेशनल हाईवे एक्ट 1956, कोल बीयरिंग एरियाज एक्वीजीशन एण्ड डेवलपमेण्ट एक्ट 1957, रेलवे एक्ट और इलैक्ट्रीसिटी एक्ट जैसे 13 केन्द्रीय कानूनों को 1 जनवरी 2015 तक संशोधित करना होगा। इसके लिए अध्यादेश अपरिहार्य था। एक तकनीकी बिन्दु! लेकिन सरकार उपलब्ध विकल्प को छिपा रही है; रात के अंधेरे में जल्दबाजी में ऐसा फूहड़ कदम उठाने की बजाय संसद में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह समय सीमा को बढ़ा सकती थी। कुछ महीने पहले, मोदी सरकार के रोड और सरफेस ट्रांस्पोर्ट मंत्रालय ने 4 करोड़ रुपए लागत के पास शुदा प्रोजेक्टों को अवरुद्ध करने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को दोषी ठहराया था। अब एक्ट में संशोधन के चलते इन प्रोजेक्टों या ऐसे ही अन्य कामों के लिए अधिग्रहण के दौरान 80% भूमि मालिकों की सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये किसी भी भूमि को ले सकते हैं जिसे वे चाहते हैं उन ढांचागत प्रोजेक्टों के लिए जो 'विशिष्ट क्षेत्र' से सम्बंधित हैं; ये जो कुछ चाहे बना सकते हैं या बिना किसी चिन्ता के कितने ही लम्बे अर्से तक इसे बिना इस्तेमाल पड़ी छोड़ सकते हैं; इन्हें समाज पर अपने काम के किसी प्रभाव के बारे में चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी और इनकी सरकार उद्योगपतियों-एकाधिकारी पूँजीपतियों, अमीरों और उनके जी हुजूरियों के लिए भी जमीन हड़प सकती है ताकि उनके अच्छे दिन लाए जा सकें जिसका वायदा उन्होंने चुनाव से पहले उनसे किया था। लेकिन लाखों-लाख आम लोगों, दबे-पिसे ग्रामीण गरीबों के लिए 'अच्छे दिन' का क्या हुआ जिससे उसने सत्ता पाने की खातिर वोटरों को लुभाया था? इसको जांचने के लिए हमें संशोधित कानून की पड़ताल करनी चाहिए।

अध्यादेश की पड़ताल

प्रथम, पाँच 'विशिष्ट इलाका (एमिनेण्ट डोमेन)' सैक्टरों के लिए भूमि अधिग्रहण से परे क्या लोगों के जीवन और आजीविका में बहुत कुछ बचा रह जाएगा या यदि कुछ हो भी तो सरकार-अफसरशाही-एकाधिकारी पूँजीपति-उद्योगपति ग्रामीण जमींदारों के गठजोड़ द्वारा कलम और कागज के साथ थोड़े से हेर-फेर से क्या इन सैक्टरों के बाहर के मुद्दों को उनमें शामिल नहीं करा लिया जाएगा और यदि ऐसा हो तो ली जाने वाली उन भूमियों को सीधे-सीधे मालिकों की सहमति पूछने और सामाजिक प्रभाव आंकलन करने की जहमतों से मुक्त कर दिया जाएगा। क्या इसका मायना यह नहीं है कि प्रभावित परिवारों की सहमति और सामाजिक प्रभाव आंकलन जो न्यूनतम सांत्वना लोगों के लिए एलएआरआर एक्ट 2013 में थी उसे वस्तुतः स्थाई तौर पर तिलांजलि दे दी जाएगी?

द्वितीय, विधेयक-अध्यादेश में सिर्फ मालिकों को ही मुआवजा देने का प्रावधान है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रभावित परिवार के लिए मुआवजा निरर्थक और छलावा सिद्ध होगा जिनका खून पहले ही पूँजीवादी व्यवस्था के चौतरफा संकट के चलते निचोड़ा जा चुका है जिसकी अभिव्यक्ति बढ़ती मंदी, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि के माध्यम से हो रही है। इसके अलावा, यह सिर्फ वर्तमान पीढ़ी का ही सवाल नहीं है; बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी सवाल है जो असहाय खड़े होकर स्थाई सम्पत्ति, विरासत में मिली उनकी पुश्तैनी जमीन, जिस पर उनके पूर्वज रहा करते थे, उसकी तबाही का मंजर देखते रहेंगे।

तीसरे, उन करोड़ों भूमिहीन मजदूरों, बटाईदार किसानों, खेतमजदूरों सहित अन्य ग्रामीण तबकों का क्या होगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष जमीन और कृषि से जुड़े हैं और उस पर जिन्दा हैं? यह अध्यादेश उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने से पूरी तरह वंचित करता है जो 'अन्य प्रभावित परिवारों' की श्रेणी को सीधे-सीधे खारिज करता है जिसमें इन अभागे लोगों को तुच्छ रूप से ही सही भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में शामिल किया गया था।

चौथे, यह अध्यादेश उपजाऊ और 'गैर उपजाऊ' या सिंचित तथा गैर सिंचित जमीनों को एक समान बना देने के कदम का और न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी कहर ढा देने का प्रतीक है। देश के बहुत से हिस्सों में, न केवल दूर दराज के देहाती इलाकों में बल्कि अच्छी खासी आबादी वाले क्षेत्रों में भी किसान मिलेंगे जिन्होंने सालों के अपने कष्टसाध्य श्रम के जरिए बहुत सी गैर-उपजाऊ जमीन को उपजाऊ जमीन में तब्दील किया था। यह भी पता चलेगा कि चाहे कितनी ही कम क्यों न हो देश की कुछ जमीन को सिंचाई के तहत लाया गया है। अब उपजाऊ और 'गैर-उपजाऊ' या सिंचित के साथ गैर-सिंचित को मिला एक कर देने का मायने है भूमि हथियाने वाले बिना किसी संकोच के आनन्दपूर्व किसानों के कठिन श्रम को हड़प लेंगे जो किसानों ने भूमि के चरित्र को बदलने में लगाया था इसे गैर कृषियोग्य से कृषि योग्य में बदला था या सिंचाई को विकसित करने के लिए सरकारी खजाने से खर्च किया गया था। इसकी भरपाई कौन करने जा रहा है?

इसके अलावा, अमुक 'विशिष्ट क्षेत्र' (एमिनेण्ट डोमेन) सेक्टर प्रोजेक्टों के लिए विशेषाधिकार प्राप्तों को उपजाऊ सिंचित भूमियों को खैरात में देना खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करेगा और देश की खाद्य सुरक्षा पर बड़ा प्रतिकूल असर डालेगा और देश के लोगों को भुखमरी के कगार पर तथा कालाबाजारियों-जमाखोरों-प्रशासन के गठजोड़ के रहमोकरम पर ला छोड़ेगा। हालांकि हमारे देश में सरकार दावा करती है कि कृषि खाद्य फसल में आधिक्य है और आंकड़ों की झड़ी लगाते हुए अपने दावे को जायज ठहराने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं जबकि तथ्य यह है कि देश की ज्यादातर आबादी को प्रतिदिन एक वक्त का भी भोजन नसीब नहीं होता है। भुखमरी से हजारों मर रहे हैं। न्यूनतम खाद्य सामग्री खरीद पाने में अक्षम गरीब लोग भूख मिटाने के लिए सड़ा हुआ यहाँ तक कि जहरीली

(शेष पृष्ठ 4 पर)

8 मार्च – अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सड़कों पर उतरी महिलाएं

दिल्ली : दिल्ली आशा वर्कर एशोसिएशन की ओर से 16 मार्च को त्रिनगर तथा 17 मार्च को करोल बाग में सभाओं का आयोजन किया। जिनमें सैकड़ों आशा वर्करो ने जोशपूर्वक हिस्सा लिया। स्वरूप नगर की सभा को निर्मला, पूनम, व राजबाला ने और करोल बाग में कविता, पुष्पा व सोनू ने भजनपुरा में, मंजू, सीमा व लक्ष्मी ने त्रिनगर तथा कालकाजी में शान्ति, निर्वेश व पुष्पा आदि आशा नेत्रियों ने सम्बोधित किया। इन सभाओं को एआईयूटीयूसी राज्य कमेटी सदस्य कॉ. एस.एस. बक्शी, भंवरपाल, व निर्मल ने तथा राज्य सचिव मैनेजर चौरसिया व अध्यक्ष हरीश त्यागी ने भी सम्बोधित किया।

पटना : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन पटना जिला कमिटी के बैनर तले महिलाओं ने जुलूस निकाला। जुलूस गांधी मैदान स्थित शहीद भगत सिंह चौक से प्रारंभ हुआ और जेपी गोलम्बर तक गया जहां पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया।

पटना

सभा को सम्बोधित करते हुए संगठन की पटना जिला सचिव श्रीमती अनामिका ने कहा कि आज समाज में महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। आज महिलाएं कहीं भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। समाज में जो शराबखोरी व अन्य नशाखोरी तेजी से बढ़ती जा रही है, इस पर सरकार कोई कड़ी कारवाई नहीं कर रही है। बलात्कारियों को तत्काल सजा नहीं दी जाती है, इसलिए समाज में महिलाओं पर अपराध और भी बढ़ता जा रहा है। 16 दिसम्बर, 2012 की दिल्ली की 'दामिनी' के बलात्कारी मुकेश से विदेशी फिल्मकार ने साक्षात्कार लिया तो उसने कहा कि अगर 'दामिनी' विरोध नहीं करती तो वह मरती नहीं और 8 बजे के बाद लड़की का घर से निकलना लड़कों को न्योता देना है। अनामिका ने सवाल किया कि जिस अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई हो उसे इस तरह का बयान देने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? महिलाओं के प्रति आज भी लोगों की सोच दकियानूसी है। वे इस रूढ़िवादी सोच से ग्रसित हैं कि महिलाएं जींस न पहनें, मोबाइल न रखें, घर से बाहर न निकलें। इस तरह की रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत है। सभा को अरविन्द महिला कॉलेज की पूर्व प्राध्यापिका चित्रा वैश्य तथा संगठन की नेत्री संध्या माइति, इन्दू कुमारी, रेखा देवी, बिजयंती देवी आदि ने भी सम्बोधित किया।

मुजफ्फरपुर : 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से शहर के बीबी कॉलेजिएट स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बड़े ही उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया।

कार्यक्रम का संचालन संगठन की जिला संयोजिका कंचन कुमारी ने किया और अध्यक्षता प्रेमा देवी ने की। इस मौके पर एसयूसीआई (सी) के जिला सचिव अर्जुन कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शहर की नामचीन कवित्री एवं साहित्यकार डॉ. पूनम सिंह ने कहा कि आज महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में शोषित एवं प्रताड़ित हो रही हैं। महिलाओं की लड़ाई पुरुषों से नहीं बल्कि पुरुषवादी सोच से है।

संगठन की राज्य सचिव साधना मिश्रा ने कहा कि इस गौरवपूर्ण दिन के 104 वर्ष बीतने के बाद भी महिलाएं दोहरे शोषण की शिकार हैं, एक ओर पूँजीवादी समाज व्यवस्था का शोषण तो दूसरी ओर पितृसत्तात्मक समाज के कारण पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व है। केन्द्र व राज्य की सरकारों का रवैया भी महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है। ये महिलाओं पर हिंसा बढ़ाने वाले तत्वों–शराब और अश्लीलता को रोकने की पहल करने की बजाय इन्हें बढ़ावा दे रही हैं। इसलिए महिलाओं के सामने उच्च नीति–नैतिकता और संस्कृति के आधार पर जुझारू आन्दोलन ही बचने का एकमात्र रास्ता है।

मुरादाबाद, यू पी : अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एसोसिएशन के बैनर तले मण्डल के पाँचों जनपदों से आई सैकड़ों आंगनवाड़ी कर्मियों ने रेलवे स्टेशन से अम्बेडकर पार्क तक जुलूस निकाल कर अपने अधिकारों की आवाज बुलन्द की। आंगनबाड़ी कर्मियों ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने, महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने तथा पूर्ण राजनैतिक अधिकार अर्थात चुनाव लड़ने का अधिकार मांगा। अम्बेडकर पार्क में पहुँचकर जुलूस एक सभा में बदल गया।

सबसे पहले गीत व नृत्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। आंगनबाड़ी कर्मियों ने जहाँ एक तरफ सामाजिक बुराइयों जैसे नशाखोरी, भ्रूण हत्या, दहेज पर अपने गीतों के माध्यम से जोरदार प्रहार किया वहीं दूसरी तरफ अपने अधिकारों के लिए भी गीतों के माध्यम से हूंकार भरी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन शिक्षा अधिकारी श्रीमती बबीता सिंह ने किया। सभा का संचालन एसोसिएशन की मण्डल सचिव मिथलेश चौधरी ने किया तथा अध्यक्षता मण्डल अध्यक्षा सोमवती शर्मा ने की। सभा को मुख्य रूप से कमलेश चहल तथा शशिबाला ने सम्बोधित किया। मांगों के ज्ञापन मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार तथा मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार को भेजे गए।

मुरादाबाद

वक्ताओं ने आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ सरकारों द्वारा उपेक्षात्मक रवैया अपनाए जाने तथा उन्हें उनके जायज अधिकारों से वंचित रखने के खिलाफ सड़क से संसद तक आन्दोलन चलाने का आह्वान किया। सभा को ऋतु चौधरी, हरकिशोर सिंह ने भी सम्बोधित किया।

इन्दौर, म.प्र.: 8 मार्च, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सृजन मंच की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से की गई जिसमें 'बड़े घर की बेटी' नाटक का मंचन किया गया। सृजन मंच की इंचार्ज सोम्या सिंह ने महिला दिवस का इतिहास बताते हुए कहा कि महिलाएं प्रारम्भ से ही अपने हक के लिए लड़ती आई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसका उदाहरण है कि महिलाओं ने अपने अधिकार लड़कर हासिल किए हैं।

मुजफ्फरपुर

अहमदाबाद, गुजरात में 8 मार्च को प्रदर्शन करती महिलाएं

धीरे–धीरे उनके अधिकार छिनते जा रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़–छाड़, अपहरण, बलात्कार आम बात हो गई है। यह बड़े दुख की बात है। इसके बाद एस.यू.सी.आई.(सी) की इंदौर की प्रभारी अर्शी खान ने महिलाओं की स्थिति पर बात रखी और बढ़ती अश्लीलता, अपसंस्कृति, नशाखोरी के खिलाफ जन आन्दोलन खड़ा करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन सृजन मंच की कार्यकर्ता प्रियंका ने किया।

गुना, म.प्र.: 'निर्भया' पर बनाई गई डॉक्यूमेण्ट्री के खिलाफ ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन, गुना द्वारा 5 मार्च को स्थानीय लक्ष्मीगंज में प्रदर्शन किया गया। संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती संगीता आर.बी., एसयूसीआई(सी) पार्टी की जिला सांगठनिक समिति के सदस्य कॉ. लोकेश शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संगठन की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा राय ने किया।

गुना

ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा 8 मार्च को स्थानीय जय स्तम्भ चौराहे पर महिलाओं की एक मानव श्रंखला बनाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरूआत संगठन की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा राय के सम्बोधन से हुई। उन्होंने महिलाओं की वर्तमान परिस्थितियों पर बात रखी। तथा महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के विरोध में सभी महिलाओं को एकजुट होने का प्रण लेने को कहा। संगठन की नगर सचिव कविता शाक्य तथा जिला सहसचिव ललिता अग्रवाल ने भी बात रखी। नगर कार्यक्रम में ज्योति व अर्चना ने महिलाओं पर रचित गीत गाया। इस कार्यक्रम में शहर की कई महिलाएं शामिल हुईं। संगठन की जिला अध्यक्षा श्रीमती संगीता आर.बी. ने इस दिवस की प्रासंगिकता बताते हुए कहा कि सन् 1908 में न्यूयार्क की महिलाओं द्वारा खूनी संघर्ष किया गया और अपने कई अधिकार जिनमें समान काम के लिए समान वेतन, वोट डालने का अधिकार तथा 8 घण्टे काम करने का अधिकार प्राप्त किया गया। इस आन्दोलन को सन् 1910 में समाजवादी नेत्री क्लारा जेटकिन द्वारा कॉपेनहेगन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। उन्होंने पूर्ववर्ती आन्दोलनों से प्रेरणा लेकर वर्तमान परिस्थितियों का मिलकर मुकाबला करने के लिए महिलाओं का आह्वान किया।

हैदराबाद में महिलाओं ने किया रोष प्रदर्शन

निर्भया–दामिनी के बलात्कारी युवक द्वारा महिलाओं के बारे में घोर अपमानजनक टिप्पणी किये जाने पर 7 मार्च को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की कार्यकर्त्रियों ने हैदराबाद में सेन्सर बोर्ड के दफ्तर के सामने रोष प्रदर्शन किया।

हैदराबाद

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल..

(पृष्ठ 2 का शेष)

चीजे जैसे आम की गुठलियाँ, कीड़े इत्यादि खा रहे हैं। यदि तर्क की खातिर मान भी लिया जाए कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को लागू करने के माध्यम से जमीन की उपज क्षमता बढ़ेगी और एक ही जमीन पर बहु फसली उत्पादन अच्छा खासा बढ़ेगा, क्या इसे दरकिनार किया जा सकता है कि कृषि योग्य भूमि का घटना ह्रासमान उपयोगिता के खतरे से भरा हुआ है और इस प्रकार देश के लोगों की बढ़ती खाद्य जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी हो जाएगा?

पाँचवां, जैसा कि अध्यादेश सरकार को व्यक्तिगत उद्योगपतियों के लिए भूमि अधिग्रहण की छूट देता है यह तो उनके लिए वरदान साबित होगा। यह उनको झंझटों से ही छुटकारा दिलाएगा, मसलन, भूमि अधिग्रहण के कठिन काम में उनको होने वाली बहुत सी परेशानियों से और समाज या जमीन मालिकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से।

अंतिम लेकिन किसी भी मायने में कम नहीं कि अध्यादेश के प्रावधान के चलते भूमि हथियाने वाले अब कितने ही लम्बे अर्से तक भूमि को बिना इस्तेमाल के छोड़ सकते हैं।

अध्यादेश नग्न रूप से कारपोरेट स्वार्थों की ताबेदारी करता है

अत: यह स्पष्ट है कि वर्तमान अध्यादेश नग्न रूप से घरेलू और विदेशी एकाधिकारी पूँजीपतियों के स्वार्थ की ताबेदारी करता है जिन्हें गरीब किसानों और अन्य ग्रामीणों को उजाड़ने की भरपाई का कोई दायित्व लिए बिना ही सुविधाजनक इलाकों में जमीन की जरूरत है। यह नितांत गैर-जनवादी है और नितांत गैर-जनवादी तरीके से लाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं। यह अपराधिक भी है कि अध्यादेश भूमि मालिकों की सहमति के बिना भूमि के अधिग्रहण को कानूनी ठहराता है। इस तरह का संशोधन किसान हित के नितांत प्रतिकूल है और निर्लज्जतापूर्वक एकाधिकारी पूँजीपतिपरस्त, कारपोरेटपरस्त है।

यही वजह है कि कान्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री (सीआईआई) ने इस फैसले का श्रेय लिया और आर्थिक सुधारों के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता के रूप में इसकी व्याख्या की। इसने एक वक्तव्य में कहा: ''सीआईआई इस तथ्य का तहेदिल से स्वागत करता है कि सरकार ने हमारे सुझाव को शामिल कर लिया है कि कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रक्षा, ग्रामीण विद्युतिकरण, ग्रामीण आवास और औद्योगिक गलियारों में प्रोजेक्ट को प्रभाविक परिवारों से 80% सहमति की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा।'' एक अन्य इण्डस्ट्री बॉडी ऐसोचेम ने कहा कि ''भारतीय उद्योग भूमि अधिग्रहण कानून में बहुत जरूरी परिवर्तनों का तहेदिल से स्वागत करता है। सरकार ने किसानों के स्वार्थों और विकास की जरूरतों के बीच बढ़िया संतुलन हासिल किया है।''

जैसा कि ऊपर इंगित किया गया, यह दावा निर्लज्ज मिथ्याचार है। इस मिथ्याचार को और भी उजागर करने के लिए हमें दो और बिन्दुओं को जोड़ने की जरूरत है। एकाधिकारी पूँजीपतियों और इनकी ताबेदार सरकारों और अब मोदी सरकार ने हमेशा लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि उद्यागों और देश के विकास के लिए, लोगों के रोजगार इत्यादि के लिए जमीन की जबरदस्त जरूरत है। लेकिन समस्या का मर्म कहाँ निहित है?

एक, क्या तमाम जमीनें जो अभी तक अधिग्रहित की गई इस्तेमाल कर ली गई हैं? दो, यदि नहीं तो क्यों? यह पहले ही बताया जा चुका है कि अधिग्रहित और उद्योगपतियों को सौपी गई जमीन का एक तिहाई से ज्यादा बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ है। और उन उद्योगपतियों में अम्बानियों या जिन्दलों जैसी बड़ी हस्तियों के नाम भी शामिल हैं। असल में जमीन को लेकर कतई कोई समस्या नहीं है। समस्या तो एकाधिकारी पूँजीपतियों, उद्योगपतियों की शिकरगाह में ही निहित है। यह बाजार में हैं। पूँजीवादी शोषण ने लोगों को उनकी हड्डियों तक निचोड़ डाला है। इसने केवल जिन्दा रहने लायक न्यूनतम खरीद शक्ति से भी लोगों को वंचित कर दिया है। स्वाभाविक है कि खरीद शक्ति के ह्रास का मतलब है बाजार में खरीददारों की कमी; खरीददारों की कमी का कुप्रभाव वस्तुओं की बिक्री पर पड़ता है; कम बिक्री का मतलब है वस्तुओं का ढेर लग जाना, उद्योग पहले अपना उत्पादन घटाते हैं, श्रम शक्ति की छंटनी कर ले-ऑफ का रास्ता अपनाते हैं और बाद में शटर गिरा देते हैं। सारी की सारी पूँजीवादी मण्डियाँ भयंकर मंदी की चपेट में हैं जिससे वे पार नहीं पा सकते हैं। जब मौजूदा उद्योग ही ऐसी मंदी की गिरफ्त में हैं तब कोई पागल ही नए-नए उद्योगों की उम्मीद पालेगा।

मोदी चुंका रहे हैं अपने आकाओं का कर्ज

एकाधिकारी पूँजीपतियों की इस नाजुक घड़ी में उनके द्वारा मोदी को तहेदिल से समर्थन और प्रोत्साहन दिया गया। इसलिए उद्योगपतिपरस्त नीतियों को यथासंभव शीघ्रता से लागू करके मोदी अपने पर किए गए अहसान का कर्ज उतारना चाहते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि शासक एकाधिकारी पूँजीपतियों की वर्ग जरूरत को पूरा करने की कुछ प्रयोगात्मक पहलकदमियाँ मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ली थी। वहाँ उन्होंने व्यापक पैमाने के भूमि अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए स्पेशल इंवेस्टमेण्ट रीजन (एसआईआर) एक्ट 2009 पास किया था। इसके तहत अधिग्रहित भूमि को विकास तथा 13 एसआईआरों और मैन्यूफैक्चरिंग पर केन्द्रित चार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए टाटा, अम्बानी, अदानी आदि औद्योगिक और एकाधिकारी पूँजीपतियों के गुट को वितरित करना था। उन्होंने कौड़ियों के मोल जमीन को कब्जा लिया और 'वाइब्रेण्ट गुजरात' के भ्रामक प्रचार के तहत अपने लाभ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके थे। फिर आया था टाटाओं का नैनों कार प्रोजेक्ट जिसका मोदी ने गुजरात मे स्वागत किया था जब टाटा और पश्चिम बंगाल की सीपीआई(एम)-नीत सरकार प्रभावित किसानों व अन्य ग्रामीणों के जबरदस्त प्रतिरोध की वजह से सिंगूर की अत्यंत उपजाऊ भूमि पर इस प्रोजेक्ट को स्थापित नहीं कर सकी थी। टाटाओं के लाभ के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने खुले हाथ से रियायतों की पेशकश की थी लगभग 10,000 करोड़ रुपये तक के करीब करीब ब्याज मुक्त कर्जे और अन्य सुविाएं जो कुल मिलाकर लगभग 30,000 करोड़ रुपये तक की सहायता हो जाती है। प्रत्यक्ष रूप से कर दाताओं के पैसे से। अब लम्बे अंतराल में (या बल्कि छोटे अंतराल एक दशक के अन्दर!) कथित एसआईआरों ने क्रोनी केपीटेलिज़्म (शोषणमूल पूँजीपतियों और सरकार के बीच मजबूत गठबन्धन के लिए मधुर शब्द) के शिल्पकार की शोहरत मोदी को दिला दी है और मोदी सरकार का उपनाम अम्बानी-अदानी सरकार हो गया है। जहाँ तक टाटाओं के नैनो प्रोजेक्ट का सवाल है अब आधे हफ्ते के लिए बन्द पड़ा रहता है। टाटाओं की योजना फैक्ट्रियों को एक महीने या ज्यादा के लिए बन्द करने की है। (इकॉनोमिक टाइम्स डॉट कॉम/2014) फिर भी, एकाधिकारी पूँजीपतियों ने लूट के माल पर हाथ साफ कर लिया है। इसलिए, उन्हें मोदी के रूप में एक अति भरोसेमन्द प्रधानमंत्री मिल गया है जो नितांत कुशलता के साथ उनके वर्ग स्वार्थ की सेवा कर सकता है। और उन्होंने धन और मीडिया बल के साथ मोदी का समर्थन किया और प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया। और अब वे अपने-चहेते प्रधानमंत्री पर गुजरात जैसे कानूनों और प्रोजेक्टों को राष्ट्रीय स्तर पर अंजाम देने के लिए दबाव डाल रहे होंगे। अध्यादेश के रास्ते भूमि कानून को लागू करने की बेहूदा जल्दबाजी की व्याख्या सिर्फ यही हो सकती है। केन्द्रीय वित्त मंत्री का यह तर्क भी कि ''पिछले 2014 कानून को लागू करने में बहुत सी परेशानियों की जानकारी राज्यों के मंत्रालयों और स्टेक होल्डरों ने दी है और इसीलिए नया कानून लाने का औचित्य है'' बहुत बेतुका है क्योंकि पिछला कानून एक लम्बे सलाह-मशवरे की प्रक्रिया के बाद लाया गया था और इसे लाने के बाद इसकी पूरी जांच भी नहीं हुई है।

उद्योग की बात एक झांसा, खाद्य सुरक्षा को सर्वनाश की ओर धकेला गया

एक बार पुन: उल्लेख करना जरूरी है कि न केवल उद्योग की बात एक झांसा है बल्कि यदि, इसके बहाने अंधाधुंध अधिग्रहण के माध्यम से उपजाऊ कृषि भूमि को तबाह किया जाता है तो जैसा कि ऊपर दिखाया गया है इसका देश के खाद्य उत्पादन पर भयंकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पहले ही उद्योग लगाने के तथाकथित उद्देश्य के लिए भारी मात्रा में अधिग्रहित कृषियोग्य भूमि बिना इस्तेमाल के पड़ी हुई है। इन जमीनों को दोबारा कृषि भूमि में तब्दील नहीं किया जा सकता है। यदि और भी कृषि भूमि अधिग्रहित और तबाह की गई तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। यदि कोई नया उद्योग लगाना ही हो तो उसके लिए फैक्ट्री परिसरों में खाली पड़ी जमीन या हजारों बंद हो गई फैक्ट्रियों की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अध्यादेश बनेगा लोगों की तबाही का सबब

यह नितांत अनहोनी बात है कि एकाधिकारी पूँजीपति और उनकी पोलिटिकल मैनेजर, सरकार इन समस्याओं को नहीं समझते हैं। फिर भी वे अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। किसलिए? किस षड्यन्त्र के तहत? यह भूमि अधिग्रहण के लिए उनकी 'एमिनेण्ट डोमेन' की अवधारणा में प्रतिबिम्बित होता है। इसमें निजी स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों सहित सामाजिक आधारभूत ढांचा ग्रामीण आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें और बिजली साथ ही रक्षा क्षमताएं शामिल हैं। असल में जब से देश ने आजादी हासिल की है, मिलट्री क्षमताओं ने संकटग्रस्त पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए उद्धारकर्ता की भूमिका निभाई है। इस प्रकार बढ़ती गरीबी, अशिक्षा, लाखों-लाख लोगों की कंगाली के साथ-साथ रक्षा बजट और रक्षा क्षमताएं कुलांचे भरते हुए देश की अर्थव्यवस्था के अपने मौजूदा हैरतअंगेज मुकाम तक पहुँची हैं। फिलहाल भारत दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीददारों में से एक है और सबसे बड़े शस्त्र-उत्पादकों में से भी एक बनने की आकांक्षा रखता है। एकाधिकारी पूँजीपतियों के लिए यह एक उच्च मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय है जिसके लिए वे अपने मिलट्री-इण्डस्ट्री कॉम्पलैक्स को चलाए रखना चाहते हैं। अब अच्छे दिन के नारे के साथ मोदी सरकार ने रक्षा जरूरत के साथ-साथ 'आधारभूत ढांचे' के टैग को भी अपने एजेण्डे की प्राथमिकता सूची में शामिल कर लिया है। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% बढ़ा देने के चलते विदेशी शस्त्र उत्पादक भी अब भारत को एक लाभप्रद गंतव्य पाएंगे। इसीलिए ऐसे नए शस्त्र उत्पादक उद्योगों को लगाने के लिए जमीन की जरूरत है। इसी प्रकार लोगों से भूल नहीं होनी चाहिए कि देश में 100 स्मार्ट शहरों के एजेण्डे के साथ अच्छे दिन आ रहे हैं। जाहिर है कि इन स्मार्ट शहरों में एकाधिकारी पूँजीपतियों, अमीरों के निवास होंगे जो आजकल दुनिया के सबसे अमीर नामों में शामिल हैं। उनके कोरपोरेट अधिकारी और मध्यम वर्ग का नया-नया उभरा सम्पन्न मदमस्त ऊपरी तबका जो कि अमीरों की बन्द मुट्ठियो से छिटक रहे टुकड़ों पर जिन्दा रहने को शान समझता है। भूसम्पत्तियों के प्रोत्साहन में उछाल के लिए जमीन की जरूरत होगी। अगले कदम में सरकार खुद इन शहरों के लिए जमीन दखल करने के एजेंडे के साथ आगे आएगी; इन सुविधाभोगियों के सहज आवागमन और प्रकाशमय जीवन के लिए विशाल देहाती इलाके को लील दिया जाएगा; इसमें शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित सामाजिक आधारभूत ढांचा स्थापित किया जाएगा। यह भी स्मरण रहे कि घोर बाजार संकट के सामने और औद्योगिक विकास के अभाव में एकाधिकारी पूँजीपतियों ने पहले ही इन सेवा क्षेत्रों को निवेश के शानदार क्षेत्रों के रूप में चिन्हित कर लिया है क्योंकि अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने या स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करने के लिए लोग अपने खून का आखिरी कतरा तक दे देंगे, आखिरी सांस तक वे प्रयास करेंगे। अत: इन क्षेत्रों में निवेश के बदले मुनाफा सुनिश्चित है। अमीर और सम्पन्न लोगों के लिए ऐसे नए शिक्षा और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए जमीन की जरूरत होगी।

इस षड्यंत्र का ठोस रूप से खुलासा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। भारत में जेट फाईटरों के उत्पादन के लिए फ्रांस की डसाल्ट एविएशन के साथ गठबंधन में मुकेश अम्बानी चुपचाप अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहे है। इनका उद्देश्य लड़ाकू जेटों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन जाना है। अनील अम्बानी के रिलायन्स ग्रुप ने रक्षा क्षेत्र मे अपने आगमन की घोषणा कर दी है। अनिल अम्बानी ने पहले ही एक स्मार्ट सिटी के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए, धीरूभाई अम्बानी डिफेंस पार्क की योजनाओं को स्पष्ट कर दिया है। इसके लिए सरकारी खजाने से डिफेंस प्लान आऊटले के 100 मीलियन डॉलर अपनी तिजोरी भरने के लिए रख छोड़े हैं। पता चला है कि अनिल अम्बानी की फर्म तकनीकी अनुबंधों के लिए फ्रांस की यूरोकोप्टर, रूस की कामोव और अमेरिका की सिकोर्स्कि सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय कोलेबोरेटरों के साथ बात कर रही है और कथित तौर पर प्रस्तावित डीएडीपी के लिए भूमि की खातिर कई राज्य सरकारों से सम्पर्क साध रही है स्पष्ट है कि इससे वहाँ ग्रामीण लोगों की तबाही आएगी। यह डिफेंस स्मार्ट सिटी आर्मी और नेवी हेलिकोप्टरों का निर्माण करेगा रक्षा सामग्रियों का आयात-निर्यात करेगा, नजदीकी बंदरगाह इत्यादि के लिए एयरफील्ड और सड़क सम्पर्क रहेगा। स्वाभाविक

(शेष पृष्ठ 6 पर)

''कर्मचारी-मजदूर आन्दोलन : 10 वर्ष पूर्व और आज'' विषय पर
विचार गोष्ठी का आयोजन

विचार-गोष्ठी में अपना वक्तव्य रखते हुए कॉ. अचिन्त्य सिंन्हा

इलाहाबाद(उ.प्र.) : एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की इलाहाबाद इकाई के पूर्व प्रभारी कॉमरेड एन.के. शर्मा की 10वीं बरसी पर 8 फरवरी को यहां ऑल इण्डिया यूटीयूसी के तत्वावधान में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र के सभागार में ''कर्मचारी-मजदूर आन्दोलन : 10 वर्ष पूर्व और आज'' विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता पार्टी की इलाहाबाद इकाई के प्रभारी कॉ. एस.के. मालवीय ने की। शहर के विभिन्न इलाकों से आये मजदूर-कर्मचारियों ने इसमें शिरकत की। ऑल इण्डिया यूटीयूसी के सचिव मण्डल सदस्य कॉ. अचिन्त्य सिंन्हा मुख्य वक्ता थे।

ऑल इण्डिया यूटीयूसी उ.प्र. के राज्य अध्यक्ष कॉ. राजबली, राज्य सचिव कॉ. विजय पाल सिंह, उ.प्र. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसियेशन की अध्यक्ष लता शर्मा व विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के नेतागण ने भी अपने विचार रखे।

बस चलाने की उठाई मांग

गुलबर्गा (कर्नाटक) : ऑल इण्डिया डीएसओ, गुलबर्गा जिला कमेटी ने 12 मार्च को कुड्डाडोर व आस-पास के गांवों के लिए बस सुविधा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शिक्षा के लिए छात्र व जरूरी कामों से आवागमन के मामले में लोगों को बस सुविधा न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन रूटों पर कुछ बस चलती हैं लेकिन वे नाकाफी हैं। ऑल इण्डिया डीएसओ ने सम्बन्धित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जिस पर उन्होंने जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

जौनपुर (उ.प्र.) : 9 से 15 मार्च तक ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा घोषित अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया गया। 12 मार्च को छात्र प्रदर्शन हुआ और प्रधानमंत्री व मानव संसाधन विकास मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया।

केन्द्र व हरियाणा की बीजेपी सरकार के जनविरोधी बजट का विरोध

मोदी सरकार के जनविरोधी बजट प्रस्तावों, किसान-विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल और डीजल-पेट्रोल की बेवजह दाम बढ़ोतरी और बेमौसमी बारिश, तेज आंधी व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की तुरन्त गिरदावरी करवा कर मुआवजा देने में भाजपा-नीत खट्टर सरकार द्वारा आनाकानी किये जाने पर रोष प्रकट करते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट), सीपीआई(एम) और सीपीआई की ओर से हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर 13 मार्च को संयुक्त विरोध प्रदर्शन किये गये। 1. हिसार 2. सोनीपत 3. रेवाड़ी 4. नारनौल 5. गुड़गांव 6. रोहतक 7. भिवानी

निर्भया गैंग रेप के आरोपी की अपमानजनक टिप्पणी की निन्दा

ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने 4 मार्च 2015 को जारी एक बयान में ब्रिटिश फिल्मकार लेसली उडविन की बीबीसी द्वारा प्रसारित डाक्यूमेंटरी में दिये गये एक साक्षात्कार में निर्भया गैंग रेप केस के एक मुख्य अभियुक्त मुकेश सिंह द्वारा महिलाओं पर की गई अपमानजनक और गैर–जिम्मेदाराना टिप्पणी की घोर निन्दा की। बयान में कहा गया कि अनेक राजनैतिक पार्टियों के नेताओं, उच्च पदाधिकारियों जैसे पुलिस और कभी–कभी न्याय व्यवस्था से जुड़े पुरुषों द्वारा कहे गये गहरी पुरुष–प्रधान मानसिकता वाले और महिला–विरोधी कथनों ने मुकेश सिंह को ऐसी टिप्पणियाँ करने का साहस प्रदान किया है।

एआईएमएसएस ने पूरे देश के नर–नारियों का आह्वान किया है कि वे ऐसे घृणित अपराध के अपराधी की इन टिप्पणियों का प्रतिवाद करें जिसका प्रतिवाद न केवल देश भर में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया। एआईएमएसएस ने केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है कि निर्भया काण्ड के अपराधियों को बिना और देरी किये सजा दी जाए।

बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की उठी मांग

रोहतक, हरियाणा: ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. अनूप सिंह मातनहेल ने 2 मार्च को जारी एक बयान में कहा कि बेमौसमी बारिश, तेज आंधी व ओलावृष्टि से गेहूँ आदि फसलें खराब हो जाने से पूरे हरियाणा में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने हरियाणा सरकार से तुरंत विशेष गिरदावरी करवाने और 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देकर किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई करने और प्रभावित किसान–खेतमजदूरों के कृषि ऋण माफ करने की मांग की।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश..(पृष्ठ 4 का शेष)

है कि ऐसे एक डिफेंस पार्क के लिए अन्य सम्बन्धित आधारभूत ढांचा रहेगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। अत: जमीन की तलाश और हड़पना होगा। लेकिन कैसे प्रस्तावित स्मार्ट शहरों और शस्त्र निर्माण यूनिटों का स्थापित होना उजाड़े गए अभागे भूमिहीन लोगों के लिए 'विकास' लाएगा यह लाख टके का सवाल बना हुआ है।

यही है 'विकास' का वह खाका जिसकी बात मोदी और उनकी सरकार तथा पार्टी कर रही है जिसकी बलिवेदी पर वे चाहते हैं कि देश के लाखों लाख लोग अपना खून–पसीना, अपना जीवन और आजीविका न्योछावर कर दें। देश के असंख्य शोषितों और पीड़ितों जिनकी अगली कतार में किसान होंगे के लिए ही जरूरत है कि वे इस षड्यन्त्र को पहचाने, अच्छे दिन के असली मायने का पर्दाफाश कर दें, एक स्मार्ट देश जिसका निर्माण इसके लोगों के आंसुओं और विनाश के आधार पर किया जाएगा उसके योजनाकारों, पैरोकारों को बेनकाब कर दें और जी जान से इस काले भूमि अध्यादेश का विरोध करें भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मुर्दाबाद!

मध्य प्रदेश राज्य कमेटी का पुनर्गठन

एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी ने मध्य प्रदेश राज्य कमेटी का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित कमेटी इस प्रकार है :

सचिव : कॉमरेड प्रताप सामल
सदस्य : कॉमरेड उमा प्रसाद
कॉमरेड जगदीश चन्द्र बरई
कॉमरेड रामअवतार शर्मा
कॉमरेड सुनील गोपाल
कॉमरेड प्रदीप आर बी
कॉमरेड लोकेश शर्मा
कॉमरेड रचना अग्रवाल

दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के नये सचिव

एसयूसीआई(सी), दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के नये सचिव कॉमरेड प्राण शर्मा बनाये गये हैं। उनको कॉ. प्रताप सामल मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के सचिव चुने जाने से उनके स्थान पर सचिव बनाया गया है।

'इण्डियाज डॉटर' डॉक्यूमेण्ट्री

मात्र स्त्री–द्वेषियों का चित्रण या इस पर प्रतिबंध, दोनों ही व्यर्थ हैं

निर्भया केस में सजायाफ्ताओं में से एक मुकेश सिंह फिर सुर्खियों में है। वह बस ड्राईवर था और नशे में धुत्त युवकों में से एक था जिन्होंने एक पैरा–मेडिकल छात्रा से, जिसे बाद में निर्भया नाम दिया गया, 16 दिसम्बर 2012 की शाम राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक सार्वजनिक बस में क्रूरता से उससे गैंग रेप किया गया था व यातनाएं दी थी। 13 दिनों की भयंकर पीड़ा के बाद चोटों की वजह से पीड़िता की मृत्यु हो गई। अब उसी मुकेश सिंह ने एक साक्षात्कार में निर्दयतापूर्वक टिप्पणी की है कि जब लड़की का रेप किया जा रहा था तब उसे प्रतिरोध नहीं करना चाहिए था। मुकेश अकेला नहीं था। दो वकील जिन्होंने निचली अदालत में अभियुक्त की पैरवी की थी उन्होंने भी स्त्री–द्वेषी टिप्पणियाँ की थी जैसे, 'एक विशेष समय पर वह बाहर सड़कों पर थी, वह इसका मौका दे रही थी' या क्यों अभिभावकों ने 'उसे किसी के साथ इतनी रात में भेजा' या 'हमारी संस्कृति सर्वोत्तम है। हमारी संस्कृति में महिला के लिए कोई स्थान नहीं है।'

ये साक्षात्कार एक ब्रिटिश फिल्मकार लेसली उडविन द्वारा निर्मित इण्डियाज डॉटर (भारत की बेटी) टीवी डॉक्यूमेण्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वे महिलाओं के प्रति भारतीय मानसिकता का चित्रण करना चाहती थी, खासकर 'पुरुष रेप क्यों करते हैं?' और वे निर्भया काण्ड और प्रतिवादों की व्यापक रिपोर्टें, जिन्होंने भारत को हिलाकर रख दिया था, देखने के बाद डॉक्यूमेण्ट्री बनाने के लिए प्रेरित हुई थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत में दो साल बिताए और तिहाड़ जेल में बंद अनेक सजायाफ्ता बलात्कारियों व उनके वकीलों से साक्षात्कार किया।

डॉक्यूमेण्ट्री और साक्षात्कारों से उभरे सवाल

स्वभावत:, डॉक्यूमेण्ट्री, साक्षात्कारों, इनमें निहित घिनौनी, निन्दनीय टिप्पणियों ने देश भर में खलबली मचा दी। पीड़िता के अभिभावकों सहित लोगों ने मुकेश सिंह व उसके वकीलों की टिप्पणियों की निन्दा की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बार काउंसिल ऑफ इण्डिया (बीसीआई) ने इस आधार पर उन वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उनकी टिप्पणियाँ आपत्तिजनक लगती हैं और वकील द्वारा किया गया दुराचार बनती हैं। कथित तौर पर कम से कम दो वकीलों में से एक ने बेपरवाही से अपनी पहले की टिप्पणियों का बचाव किया। यह अभियोग भी लगा कि अज्ञात कारणों से लिंग आधारित हिंसा पर अभियान छेड़ने की नैतिकता को क्षति पहुँचाई गई, फिल्मकार द्वारा देश में महिलाओं के हितों के लिए लड़ रहे संगठनों को डॉक्यूमेण्ट्री के दायरे से बाहर रखा गया। दूसरे भी कई सवाल खड़े हुए। कैसे एक विदेशी पत्रकार विचाराधीन बलात्कारियों तक पहुँच सकी, वह भी जेल में उनका साक्षात्कार करने के लिए, जिसकी पहुँच भारतीय पत्रकारों को बड़ी मुश्किल से मिलती है? कोई कानूनी रूप से वैध दस्तावेज हस्ताक्षरित किए बिना ही कैसे फिल्मकार रेप पर उनके बयान फिल्माने से पहले बलात्कारियों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर सकी जो साफ बताता हो कि साक्षात्कार के साथ वह क्या कर सकती है और क्या नहीं? क्या ये साक्षात्कार न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हैं और निर्भया केस को जोखिम में नहीं डालते हैं जिस पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है? इसमें सरकार और प्रशासन का इरादा था या इसका अभाव, ढीलापन या जानबूझकर नजरअंदाज करने का नजरिया, सक्रियता या निष्क्रियता शामिल है। अब शर्मसार और अचम्भित केन्द्र सरकार, इसका गृह मंत्रालय आग उगल रहा है। इस डॉक्यूमेण्ट्री को प्रसारित करने से बीबीसी को रोकने के प्रयास में इसने कानूनी कदम उठाए हैं। एक तरह से कुछ लोगों ने इस कदम का स्वागत किया लेकिन सवाल खड़े रह ही गए। इसने इस आरोप को भी जन्म दिया कि बोलने की आजादी का दमन किया जा रहा है और ''पुरुषों की स्त्री–द्वेषी मानसिकता'' की आम सार्वजनीन सच्चाई से समाज को दूर रखा जा रहा है। अपनी तरफ से बीबीसी ने इस प्वाइन्ट को सिद्ध करते हुए धाररहित 'बैन' को नजरअंदाज किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसके विमोचन की मूल योजना को बदलते हुए इसने शो को इंग्लैण्ड व अमेरिका में उस तारीख से पहले ही प्रसारित कर दिया जिसमें डॉक्यूमेण्ट्री और इसके 'सामाजिक उद्देश्य' का समर्थन करने वाले जाने–माने लोग शामिल हुए। बात तो हैरानी की है, सही हो भी सकती है और नहीं भी कि भारत सरकार के कदम ने असल में डॉक्यूमेण्ट्री के लिए ऊँची ब्यूअरशिप प्राप्त करने का अवसर बीबीसी को प्रदान कर दिया जिसमें साक्षात्कार किए गए बलात्कारियों (और उनके वकीलों) के स्त्री–द्वेषी वक्तव्य सबसे आकर्षक सिद्ध हुए।

संक्षेप में हर चीज अनिश्चितता की स्थिति में है। एक जघन्य अपराध हुआ; अपराधियों पर दो साल से भी अधिक समय से मुकदमा चल रहा है, बावजूद इसके कि जन आक्रोश के दबाव के चलते फास्ट ट्रैक मुकदमे के तमाम आश्वासन दिए गए थे; इसी दौरान कुछ नए कानूनी कदम उठाए गए और इनके समानांतर देश भर में लगभग हर पल इसी तरह के हो रहे अपराधों के चलते महिलाओं पर अत्याचार बेतहाशा बढ़ रहे हैं; कोई कारगर रोक नजर में नहीं आ रही है, वैधानिक निकायों के सदस्यों, सांसदों, विधायकों सहित समाज के अभिजात तबकों द्वारा भी इस या उस तरह से बलात्कार पीड़िताओं को ही जिम्मेदार ठहराने के स्वेच्छाचारी, अहंकारी और स्त्री–द्वेषी वक्तव्यों या टिप्पणियों को भी लोग कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं; अंतत: देश के बाहर से कोई इसे आधार बना कर अपनी तहकीकात शुरू करता है कि 'रेप एक व्यक्तिगत समस्या से बढ़कर एक मानसिकता की समस्या है। यदि आप रेपिस्ट की मनोवृत्ति को नहीं समझते और उससे नहीं निपटते हैं तो आप समस्या का समाधान कैसे करेंगे?' परिणाम है डॉक्यूमेण्ट्री व प्रतिक्रियाएं; यहाँ तक कि इसके बाद सरकार, फिल्मकार और बीबीसी पर गोले दागते हुए सदस्यों द्वारा संसद में हंगामा खड़ा कर दिया गया। ये तमाम एक अहम सवाल अपने पीछे छोड़ देते हैं: क्या रेप–रेपिस्ट–समाज–सरकार– प्रशासन का इतने नाजुक और शर्मनाक मुद्दे के प्रति यह सही नजरिया है? समझा जा सकता है कि ऐसा नहीं है।

रेप–रेपिस्टों जैसे नाजुक मुद्दों के प्रति नजरिया क्या होगा?

पहला, किसी सभ्य समाज में बलात्कारों और हत्याओं जैसे जघन्य अपराधों के लिए लोग स्वाभाविक रूप से अपराधियों को उचित सजा देने की मांग करेंगे जिसका उद्देश्य होना चाहिए कि वह जहाँ तक मुमकिन हो एक निरोधक का काम करे। समाज में कोई भी समझदार प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ये अपराध घातक वायरस की तरफ फैलें और लोगों को प्रभावित करें। बल्कि हर कोई देखना चाहेगा की इन पर रोक लगे, देखना चाहेगा कि आम तौर पर लोग इससे भी बढ़कर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े व समाज के अन्य कमजोर तबके इनसे सुरक्षित रहें और दिन के किसी भी समय अपनी सामान्य वांछित और आवश्यक गतिविधियों को अंजाम दे सकें। इसके लिए वे सशक्त नैतिक–सांस्कृतिक आधार के साथ एक सामाजिक आन्दोलन और वातावरण विकसित होने की अपेक्षा रखते हैं ताकि समाज में एक दुर्जेय जनमत पैदा किया जा सके। सिर्फ ऐसी एक सचेत व अग्रसक्रिय विचारधारा और इससे लैस नैतिक तौर पर मजबूत जनता ही ऐसे अपराधों व अपराधियों, जैसे कि रेप–रेपिस्ट, हत्याओं–हत्यारों, के खिलाफ संतरी का काम करेगी।

ईमानदार खोजी पत्रकारिता ऐसे आन्दोलनों को शुरू करने और छेड़ने के साधन के तौर पर काम कर सकती है। यह शामिल लोगों खासकर अपराध को अंजाम देने वालों की मानसिकता की पड़ताल करने का प्रयास कर सकती है। सामाजिक आन्दोलनों के उपरोक्त वातावरण को तैयार करने के मद्देनजर यह सामाजिक मनन की गहन पड़ताल करने का भी प्रयास कर सकती है। ऐसी खोजी पत्रकारिता का अंत कभी भी सिर्फ वर्णनों या व्याख्याओं, कुछ सनसनीखेज दृश्य पैदा करने या टिप्पणियाँ करने, जाने या अनजाने अपराधों और अपराधियों के प्रति अनावश्यक उत्सुकता पैदा करने और इस प्रकार नीच प्रवृत्तियों को भड़काने में नहीं होता है जो समाज में सामान्य हालात में विवेक और तार्किकता के चलते सुशुप्त या नियंत्रित रहती है। इसके विपरित तहकीकात–चित्रण पीड़िताओं के लिए लोगों में दर्द और सहानुभूति पैदा करने के लिए सावधानीपूर्वक दिशानिर्देशित होने चाहिए जो अंतत: अपराध व निर्दयी अपराधियों के खिलाफ नफरत की आग पैदा करें, इनके खिलाफ प्रतिरोध गठित करने का जबरदस्त जज्बा पैदा करें। सारांश में, ऐसी तहकीकात–चित्रण में यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव तौर–तरीका अपनाना चाहिए कि वह समाज व इसके लोगों को इज्जत–सलामती–सुरक्षा के साथ जीने में मदद करे।

ये तमाम बातें खास तौर से आज के सड़े गले मरणासन्न पूँजीवादी समाज के सच हैं जो आज की मौजूदा दुनिया के तमाम पूँजीवादी देशों में पाई जाती हैं। कुछ तफर्के हो सकते हैं; भारत जैसे देशों में समस्या अधिक गहरी हो सकती है। जहाँ समाज के जनवादीकरण की प्रक्रिया, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी विचारों के बल पर आधुनिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ऐसे समय शुरू हुई जब पूँजीवाद ने अपनी प्रगतिशील भूमिका खो दी थी और एक ह्रासोन्मुख शक्ति में तब्दील हो गया था। लेकिन समस्या हर जगह मौजूद है; तथाकथित विकसित जनतांत्रिक समाज में भी जहाँ नागरिक का बोध व कानून का शासन कथित रूप से कार्य करता है, वहाँ भी कानून महिलाओं व आसानी से शिकार

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉमरेड सरला महतो का देहांत

झारखण्ड में एसयूसीआई(सी) सिंहभूम (पूर्व) जिला कमेटी की सदस्य और एआईएमएसएस की झारखण्ड राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सरला महतो ने गत 26 जनवरी को 65 साल की उम्र में अचानक हृदयरोग से ग्रसित होकर अन्तिम सांस ली।

सिंहभूम (पूर्व) जिला के धूमगढ़ में अत्यंत गरीब खेतमजदूर के घर से आई कॉमरेड महतो को पढ़ाई-लिखाई के प्रति गहरा आग्रह था। उस जमाने में बी ए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुई, जो उस समय खासकर आदिवासी बाहुल्य इलाके के लिए कल्पना से परे था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब उन्होंने घाटशिला कॉलेज में दाखिला लिया, तभी उनका परिचय एसयूसीआई(सी) की प्रथम केन्द्रीय कमेटी के अन्यतम सदस्य कॉमरेड हीरेन सरकार और पार्टी के तत्कालीन सिंहभूम जिला सचिव कॉमरेड अमृतेश्वर चक्रवर्ती से हुआ। उनके संसर्ग में महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के क्रान्तिकारी आदर्श से प्रेरित होकर वे 1968 में पार्टी में शामिल हुई। नौकरी के मौके की भी उपेक्षा करते हुए तथाकथित निश्चिन्त जीवन के बुलावे को ठुकरा कर पार्टी की कुलवक्ती कार्यकर्ता (होलटाइमर) बनने के लिए घाटशिला कार्यालय में रहने लगी और इसी क्रम में पूरे परिवार को पार्टी के साथ जोड़ दिया। 1974 में जयप्रकाश आन्दोलन में उन्होंने जिस तरह भाग लिया उसी तरह पाटका बीड़ी के पत्ते का आन्दोलन, स्लिपर फैक्टरी आन्दोलन, खासकर महिलाओं पर होने वाले बलात्कार, डाइन होने के संदेह में हत्या आदि सवालों पर बहुत सारे आन्दोलन उन्हीं के नेतृत्व में गठित हुए। इन्हीं के जरिये उन्होंने अत्यंत लोकप्रिय नेत्री के तौर पर जनता के मन में जगह बना ली।

अत्यंत सरल जीवन यापन, मिलनसार स्वभाव और लोगों के दु:ख में उनके साथ डट कर खड़ी रहने की आदत ने उनकी जनगण के हृदय में अलग जगह बना दी थी। सिंहभूम विधानसभा क्षेत्र से वे पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर चार बार चुनाव में खड़ी हुई थी। उनकी अन्तिम यात्रा में हर तबके के लोग शामिल हुए।

घाटशिला स्टडी सेण्टर में 1 फरवरी को सरला महतो की स्मृति सभा हुई। सभा का संचालन झारखण्ड राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड विमल दास ने किया। मुख्य वक्ता पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रणजीत धर ने कहा कि कॉमरेड सरला महतो एक विशेष प्रक्रिया से संघर्ष का नतीजा थी, जो उन्होंने महान नेता कॉमरेड

घाटशिला में 1 फरवरी को हुई स्मृति सभा में बोलते हुए एसयूसीआई(सी) पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रणजीत धर

शिवदास घोष द्वारा दिखाये रास्ते पर पार्टी की वफादार कार्यकर्ता के तौर पर जीवन में अमल किया। इसलिए हम सब का फर्ज़ है कॉमरेड शिवदास घोष की अमूल्य शिक्षाओं को और उनके हाथों से तैयार हुई पार्टी को और भी अच्छी तरह से जानना। सभा में उनके अलावा वक्तव्य रखने वालों में प्रमुख थे घाटशिला कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष सिद्धेश्वर झा, अध्यापक सुबोध सिंह, नरेश कुमार, माला चटर्जी। सभा में पार्टी के झारखण्ड राज्य सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति भी मौजूद थे।

राँची, झारखण्ड : कॉमरेड सरला महतो के दुखद देहांत पर 11 फरवरी को राँची में एआईएमएसएस की राँची जिला कमिटी की ओर से राँची के मोसीबाड़ी में एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया। सभा में सर्वप्रथम कॉमरेड सरला महतो के फोटो पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही सभी उपस्थित साथियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात एसयूसीआई(सी) के सेंट्रल कमिटी मेम्बर और एआईएमएसएस की ऑल इण्डिया अध्यक्षा कॉमरेड छाया मुखर्जी ने कॉमरेड सरला महतो के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि छात्र जीवन से लेकर जीवन के अन्तिम दिनों तक कॉमरेड सरला महतो ने सिर्फ पार्टी और क्रान्ति के लिए ही काम किया। पार्टी के निर्देशानुसार समाज के हर क्षेत्र में वे जनान्दोलन तैयार करने और उसे मजबूत बनाने हेतु ही प्रयासरत रही। उन्होंने कहा कि हमें भी उनके जीवन-संघर्ष से सीख लेकर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आना होगा। इस सभा में एस.यू.सी.आई.(कम्यनिस्ट) के झारखण्ड सचिव कॉमरेड रबीन समाजपति भी उपस्थित थे।

कॉमरेड सरला महतो लाल सलाम!

एआईडीएसओ ने किया सीबीसीएस का विरोध

दिल्ली : हाल ही में यू.जी.सी. ने देश के सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सी.बी.सी.एस. (च्वाईस बेसड क्रेडिट सिस्टम) के अंतर्गत दाखिले करने के लिए निर्देश जारी किया। जल्दबाजी और गैरजनवादी रूप से किए इन बदलावों के खिलाफ ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. ने सेव डी.यू. के साझे बैनर तले विरोध किया। सीबीसीएस के साथ-साथ सेमेस्टर सिस्टम, सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी बिल आदि नीतियों के विरोध में 20 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी गेट पर एक छात्र सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद 12 मार्च को इसी गेट से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के निवास तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रमों का संचालन ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रशांत कुमार ने किया एवं सम्बोधन दिल्ली विश्वविद्यालय की नार्थ कैम्पस कमेटी के सचिव कॉ. मो. आसिफ ने किया।

भवन निर्माण कारीगर-मजदूरों का धरना

धरने को सम्बोधित करते हुए कॉ. बलराम यादव

नारनौल (हरियाणा) : भवन निर्माण कारीगर-मजदूर यूनियन, हरियाणा के बैनर तले 18 फरवरी को जिला महेन्द्रगढ़ के निर्माण कर्मियों ने उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर जिले में लेबर कार्यालय खोलने, जिले में ही उनका पंजीकरण करने आदि मांग की। यूनियन के राज्य सचिव कॉ. बलराम यादव के अलावा जिला प्रधान कॉ. सीताराम, जिला सचिव महावीर सिंह, ऑल इण्डिया यूटीयूसी के कॉ. शेर सिंह, केकेएमएस के कॉ. बलबीर सिंह, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के महासचिव सूबे सिंह ने भी भवन निर्माण कारीगर मजदूरों को सम्बोधित किया

इण्डियाज डॉटर डॉक्यूमेंटरी...

(पृष्ठ 6 का शेष)

बनाई जा सकने वाली कमजोर लड़कियों के प्रति अन्यायों को रोक नहीं पाया।

व्यवस्था अपराध पनपाती है; चित्रण वायरस के और फैलने के प्रति सावधनी बरते

असल में अपनी साम्राज्यवाद की अवस्था में पूँजीवाद का मौजूदा चौतरफा संकट एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गया है जहाँ साम्राज्यवादी उग्र रूप से पूरी दुनिया में प्रिण्ट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया में और सार्वजनिक प्रदर्शनों में यौनता- हिंसा की खतरनाक बाढ़ ला रहे हैं। उनकी घोर घिनौनी वर्ग साजिश साफ दिखाई दे रही है जिसका मकसद व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन से हर तरह के नैतिक मूल्यों को नेस्तानाबूद कर देना है, लोगों के सांस्कृतिक-नैतिक स्तर को नीचे गिरा देना है, अपने जीवन का उद्देश्य-लक्ष्य तय करने में लोगों को भ्रमित कर देना है। मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था का नैतिक पतन निकृष्ट हद तक नीचे चला गया है और उपभोक्तावादी समाज के एक पतित ब्राण्ड को जन्म दे रहा है। इसमें, मीडिया व ऐसी अन्य प्रोपेगेण्डा मशीनरियों सहित टैक्नोलॉजी के अपने तमाम शस्त्रागार के साथ पूँजीवाद-साम्राज्यवाद लोगों को पतन की तरफ और जीवन के प्रति यौनविकृत नजरिए की तरफ धकेल रहा है। ये तमाम साजिशें लोगों की नैतिक रीढ़ तोड़ डालने की तरफ संचालित हैं ताकि वे इस शोषणमूलक निर्मम दमनकारी सड़ी-गली मरणासन्न पूँजीवादी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े न हो सकें। इस साजिश का आसान शिकार बन कर लोगों के एक तबके का रुझान उसमें आनन्द खोजने का हो गया है जिसे एक समय गन्दा और अनैतिक माना जाता था। बचकाना कामवासना सहित किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी करने की हवस में शालीनता की भावना खत्म होती जा रही है; सुन्दरता और भद्देपन या गंदगी की सीमारेखा मिटती जा रही है; एक बीमार, यौनविकृत नजरिया हावी होता जा रहा है। ऐसे एक सामाजिक माहौल में वस्तुनिष्ट सत्यपूर्ण प्रस्तुति को बुलंद रखने के बहाने एक अपराध का मात्र चित्रण या एक अपराधी का सिर्फ प्रोजेक्शन उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, भले ही इसकी मंशा कुछ भी रही हो। यहाँ तक कि समाज की इन व्याधियों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए अपराध व अपराधियों के अपराधजगत को सामने लाने के ईमानदारी से प्रयास भी औंधे मुँह गिरे हैं। बल्कि इसने आग में घी का काम किया है। सिर्फ अपराध व अपराधियों का चित्रण करने वाली ऐसी अपराध कहानियों का प्रचार-प्रसार जितना ज्यादा होता जा रहा है, उतना ही ज्यादा अपराधों का जहरीला फैलाव समाज में अपनी गहरी जड़ें जमाता जा रहा है।

हो सकता है कि भारत में जनता के व्यापक तबकों का अभी तक डॉक्यूमेण्टरी को देखना बाकी है; प्रवासी भारतीयों सहित जिस तबके ने इसे देखा है उनके लिए यह जांचने का बेहतर मौका होगा कि सामाजिक मनन की पड़ताल करते समय प्रदर्शन का अंत बहुत से उन उदाहरणों की फेहरिस्त में इजाफा करता है कि नहीं, जिनमें लोगों ने पाया कि 'स्त्री-द्वेषी मानसिकता वाले व्यक्तियों का सीधा अनलंकृत सच' प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध व अपराधियों की वकालत करता है। लोगों ने बहुत से ऐसे चित्रणों को देखा है, तथाकथित नेताओं, समाज के अभिजातों, उच्च पदासीन व्यक्तियों, जजों, पुलिस के आला अफसरों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक-राजनैतिक हस्तियों से भी बहुत कुछ सुना है। यह एक वास्तविकता है कि ऐसे चित्रण समाज में एक सुगबुगाहट से ज्यादा कुछ भी पैदा करने में नाकाम रहे और नाकाम होने ही थे। जब तक पूँजीवाद मौजूद रहेगा इसकी बदबूदार सड़ी-गली व्यवस्था इन व्याधियों को लगातार जन्म देती रहेगी। इसलिए एक खोजी पत्रकार जो पीड़ितों के लिए दर्द और सहानुभूति रखता है और उनकी दुर्दशा को समाज के समाने लाने का फैसला करता है, क्या उसकी ईमानदाराना कोशिश यह नहीं होना चाहिए कि वह इस बारे में सजग रहे कि उसकी रचना या चित्रण का क्या प्रभाव लोगों व समाज पर पड़ने की संभावना है? क्या ऐसी रचनाओं के खिलाफ काफी सारी और असरदार सावधानी नहीं बरतनी चाहिए जिनमें दर्शकों-श्रोताओं को मात्र कामुकता-यौनता की घटना की एक और कड़वी खुराक पीनी पड़े, चाहे वे इससे वाकिफ हों या नहीं, या ज्यादा हुआ तो उनको बेचारगी और निराशा के आलम में छोड़ दे और ऐसे गंभीर अपराधों को अवश्यम्भावी और अपराधियों को न रोके जा सकने वाले मानने की सोच पनपा दे? ऐसे चित्रणों-रचनाओं से वांछित गार्ड क्या है? क्या यह दर्शकों-श्रोताओं को सचेत रूप से उस प्रेरणा से लैस करना नहीं है जो उच्च नैतिकता-संस्कृति पर आधारित जोरदार सामाजिक आन्दोलन में शामिल होने और विकसित करने की ताकत संजोने की ओर उन्हें ले जाए, इन जुर्मों और मुजरिमों का प्रतिरोध करने हेतु उठ खड़े होने के लिए लोगों को प्रेरित कर दे? इनको छोड़ कर, मात्र चित्रण के प्रयास, इससे भी बढ़कर जब इसे दृश्य-श्रव्य माध्यम के सशक्त हथियार के साथ बनाया जाए, तो यह समाज के लिए घातक वायरस का काम कर सकता है। इसे सिर उठाते ही कुचल देना चाहिए। प्रतिबन्ध एक आसान तरीका लग सकता है लेकिन अपने वांछित लक्ष्य को कतई हासिल नहीं कर सकता है। इसके अलावा, यह भी याद रखना चाहिए कि इस मौजूदा मामले में जहां केन्द्र की भाजपा सरकार डॉक्यूमेण्ट्री पर बैन लगा रही है वहीं बहुत से भाजपा-आरएसएस नेतागण हर स्तर पर उन लोगों में शामिल पाए जाते हैं जो महिलाओं, खासकर बलात्कार पीड़ितों के खिलाफ बदतरीन स्त्री-द्वेषी टिप्पणियाँ करते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो अपराधों और अपराधियों की जाँच-पड़ताल और चित्रण करने का प्रयास करता है, वह ऐसे नाजुक मुद्दों जैसे बलात्कारों-हत्याओं और निर्दयी बलात्कारियों और हत्यारों तथा उनके सामाजिक अवलंब के पीछे की इन कठोर वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing : 20 March, 2015

रेलवे प्लेटफार्म टिकट रेट दुगुना करने का एसयूसीआई (सी) ने किया विरोध

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉ. प्रभाष घोष ने 18 मार्च को जारी प्रैस वक्तव्य में कहा :

बीजेपी के वित्तमंत्री ने केन्द्रीय बजट 2015 पेश करते समय संकेत दिया था कि बजट से बाहर भी टैक्स बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले चार साल से हम बार-बार दिखाते आ रहे हैं कि प्रशासनिक फरमान जारी करके और संसद को धता बताते हुए अतिरिक्त कर थोपना सरकारों ने दस्तूर बना लिया है। इसी राह पर चलते हुए बीजेपी सरकार ने रेलवे प्लेटफार्म टिकट के रेट दुगुने यानी 5 रुपये से बढ़ा कर 10 रुपये करते हुए लोगों पर पहली चोट मारी है जो रेट 1 अप्रैल से लागू हो जाने हैं। इतना ही नहीं, बल्कि डिविजनल रेलवे मैनेजरों को खास जरूरतों के दौरान जैसे कि मेलों और रैलियों के समय प्लेटफार्मों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्लेटफार्म टिकट के रेट 10 रुपये से भी ज्यादा तक बढ़ाने की शक्तियां प्रदान कर दी हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लेने के लिए रेलवे स्टेशनों पर अक्सर आने वाले आम लोगों के कंधों पर भारी बोझ डालने के इस अत्यंत अत्याचारी फैसले का हम कड़ा विरोध करते हैं

हम लोगों से पुरजोर आह्वान करते है कि रेलवे दफ्तरों के सामने विशाल विरोध प्रदर्शन, रास्ता रोको और घेराव संगठित करते हुए जोरदार प्रतिरोध आन्दोलन गठित करें और आन्दोलन के दबाव में सरकार को इस रेट बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए मजबूर कर दें।

महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण रद्द करने और गोमांस भक्षण प्रतिबंधित करने पर एसयूसीआई(सी)

पूर्ववर्ती कांग्रेस-नीत सरकार द्वारा जुलाई 2014 में पास किए गए एक अध्यादेश के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण दिया गया था जिसे भाजपा-नीत महाराष्ट्र सरकार ने रद्द कर दिया है। जन दबाव के चलते आजादी के तुरन्त बाद एक विशेष प्रावधान के तहत एससी-एसटी के लिए रोजगार और शिक्षा में आरक्षण दिया गया था ताकि ब्रिटिश शासन के दौरान नितांत प्रतिकूलताग्रस्त दलितों, आदिवासियों और वंचित लोगों के अन्य पिछड़े तबकों को अपने पिछड़ेपन से उबरने, विकसित होने और मैरिट को पनपाने तथा जल्द ही लोगों के अन्य तबकों के साथ बराबरी पर आने में मदद की जा सके। यह भी सोचा गया था कि यह आरक्षण 10 साल के लिए होगा और इसके बाद एक समीक्षा की जानी चाहिए कि एक सीमित अवधि के लिए यह आरक्षण अपने उद्देश्य को पूरा सका या नहीं। लेकिन तथ्य यह है कि पूँजीवादी भारत में जिस उद्देश्य के लिए आरक्षण लागू किया गया था, उसे कभी हासिल नहीं कर सका बल्कि समय गुजरने के साथ अधिकतर लोगों के पिछड़े और सुविधाओं से वंचित तबकों, खास कर एससी-एसटी की हालत उत्पीड़ित जनता के अन्य तबकों की ही तरह धीरे धीरे बद से बदतर होती चली गई। इसके अलावा, शासक पूँजीपति वर्ग ने चालाकी से आरक्षण के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए नाजायज सुविधाओं धन और सत्ता के प्रलोभन द्वारा उनके अन्दर से एक छोटे ग्रुप को फुसला लिया और एक 'मलाईदार तबका' पैदा कर दिया, समृद्ध 'अभिजातों' का एक छोटा ग्रुप जो समाज में आधिपत्य रखने वाले मुट्ठीभर अमीरों की ही तरह तमाम सुविधाओं और प्रभाव का सुख भोग रहा है। यह 'मलाईदार तबका' दलितों, आदिवासियों और समुदायों के अन्य पिछड़े तबकों सहित उत्पीड़ित लोगों की दुर्दशा, दरिद्रता और बढ़ती दुख-तकलीफों के प्रति नितांत तिरस्कारपूर्ण है और वस्तुत: शासक वर्ग का पिछलग्गू बन गया है।

आरक्षण असल में चुनाव-आधारित सत्ता की भूखी पूँजीवादी पार्टियों के हाथ में एक हथियार बन गया है। इससे वे प्रलोभन दिखा कर और लोगों के एक तबके को दूसरे के खिलाफ भड़का कर वोट बैंक तैयार करती हैं। इसके अलावा, उन लागों को भी आरक्षण दिया जा रहा है जो मौजूदा स्तर-विन्यास के अनुसार ऊपरी सोपान पर हैं। अत: कोई भी सही सोच रखने वाला व्यक्ति आरक्षण का समर्थन नहीं कर सकता है क्योंकि स्पष्ट तौर से यह उत्पीड़ित लोगों, खासकर पिछड़ी और आदिवासी आबादी का ज्यादा नुकसान करता है और बेरहम पूँजीवादी शोषण-उत्पीड़न की चक्की में पिस रही मेहनतकश जनता के बीच असंतोष व सामंजस्यहीनता पैदा करता है।

लेकिन यदि कोई आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की बजाय किसी एक खास समुदाय के लिए आरक्षण को चुन कर काटने का विकल्प चुनता है और दुनिया भर में जिसे बहुतेरे लोगों द्वारा भी खाया जाता है, वह गोमांस खाना प्रतिबंधित करने के जरिए बहुत से देशवासियों के खानपान को नियंत्रित करता है तो ऐसा कृत्य एक खास समुदाय, मौजूदा मामले में मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव के समान है और निश्चित ही साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह का द्योतक है। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण को रद्द करने और गोमांस खाने को प्रतिबंधित करने के भाजपा-नीत महाराष्ट्र सरकार के फैसले की हम निन्दा करते हैं। स्पष्ट है कि यह हिन्दुत्व के घोर साम्प्रदायिक एजेण्डे से प्रेरित है जिसे भाजपा, शिवसेना, आरएसएस और संघ परिवार के अन्य घटकों द्वारा इतने नग्न रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।

बिजली बिल 2003 को रद्द करने की मांग पर एबीईसीए द्वारा 7 अप्रैल को दिल्ली मार्च का आह्वान

12 मार्च, 2015 को कोलकाता प्रेस क्लब में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में ऑल बंगाल इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एशोसिएशन (एबीईसीए) के अध्यक्ष कॉमरेड संजीत विश्वास ने बिजली-समस्याओं के समाधान की मांग पर 7 अप्रैल को होने वाले बिजली उपभोक्ताओं के दिल्ली मार्च को शानदार रूप से सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों की बिजली नीति के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल सहित भारत के तमाम राज्यों के बिजली उपभोक्ता बदहाल हैं। एक तरफ बिजली दरें आसमान छू रही हैं जबकि दूसरी तरफ आजादी के 67 सालों बाद भी 50% घरों में बिजली कनैक्शन नहीं हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 77% भारतीय लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनकी हालत सुधारने के प्रयास करने की बजाय बिजली को मुनाफा लूटने की वस्तु में तब्दील कर दिया गया और बिजली उपभोक्ताओं को लूटने की खातिर बिजली सेवा को कारपोरेट व्यापारिक घरानों के हवाले कर दिया गया। यह बिजली बिल 2003 के माध्यम से किया गया है। गत 12 वर्षों का तजुर्बा बताता है कि यह कानून बिजली कम्पनियों द्वारा हजारों करोड़ रुपए बटोर लिए जाने में सहायक रहा है। दूसरी तरफ बिजली उपभोक्ता घोर आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। छोटे उद्योग, छोटे व्यापार और खेती के लिए स्थिति अत्यंत गंभीर है। इसी वजह से एबीईसीए की मांग है कि इस कानून को पूरी तरह रद्द किया जाए और इसकी जगह नया जनमुखी बिजली कानून लागू किया जाए।

इस मांग को लेकर 7 अप्रैल को दिल्ली में संसद मार्ग पर एक प्रदर्शन किया जाएगा और केन्द्रीय उर्जा मंत्री के साथ बातचीत के बाद एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। कॉमरेड विश्वास ने यह भी कहा कि कोल-ब्लॉक घोटाले में शामिल बिजली कम्पनियों द्वारा उठाए गए कोयले पर सुप्रीम कोर्ट ने 295 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगा दिया है। बिजली दरें बढ़ाकर उपभोक्ताओं से इस धन राशि को वसूलने की साजिश है। केन्द्र सरकार को देखना चाहिए कि उनका यह प्रयास सफल न हो।

रेल बजट में कोयले के लिए माल भाड़ा 10% तक बढ़ा दिया गया है। आम बजट में भी कोयले पर सेवा शुल्क 10% तक बढ़ा दिया गया है। इससे बिजली दरें बढ़ना निश्चित है। हम मांग करते हैं कि इस अतिरिक्ति वित्तीय भार को सरकार द्वारा वहन किया जाए। उन्होंने मांग की कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: 20% और 30% की सब्सिडी दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी सत्र में केन्द्रीय सरकार 'बिजली बिल 2014' को पास करने का प्रयास कर रही है। इस बिल का उद्देश्य बिजली उद्योग को और भी विखण्डित करने का प्रयास करना है ताकि कारपोरेट घरानों को मुनाफा कमाने का और ज्यादा अवसर दिया जा सके। इसके चलते बिजली दरों में और भी बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि बिजली कानून में बदलाव की मांग, ग्रामीण विद्युतीकरण की समस्या, बिजली दरों में बढ़ोतरी की समस्या आदि तमाम समस्याओं का स्वरूप अखिल भारतीय है। इसलिए एक अखिल भारतीय आन्दोलन विकसित करने के लिए 8 अप्रैल को दिल्ली स्थित राजेन्द्र भवन हॉल में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बिजली कानून 2003 और बिजली कानून 2014 को रद्द करने की मांग पर सम्मेलन से अखिल भारतीय आन्दोलन के प्रोग्राम की घोषणा की जाएगी। जानी-मानी हस्तियाँ जो सम्मेलन में शिरकत करेंगी और सम्बोधित करेंगी उनमें दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायधीश श्री राजेन्द्र सच्चर, पत्रकार सुमित चक्रवर्ती और कृष्ण चक्रवर्ती शामिल हैं।

एबीईसीए के महासचिव कॉमरेड प्रद्युत चौधरी ने कहा कि डब्ल्यू.बी.ई.आर.सी. ने बड़े गोपनीय ढंग से और होली त्यौहार की पूर्व संध्या पर वर्ष 2014-15 के लिए टैरिफ आर्डर घोषित किया। बहुत ही कपटपूर्ण ढंग से सी.ई.एस.सी. और डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. के टैरिफ को इस तरह पेश किया गया मानो ये क्रमश: 1 पैसा और 2 पैसा कम कर दिए गए हैं। लेकिन इसका सच्चाई से दूर का भी वास्ता नहीं है। असल में सी.ई.एस.सी. और डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. के मामले में मौजूदा औसतन टैरिफ को क्रमश: 697 पैसे और 656 पैसे तक बढ़ा दिया गया है। इससे बिजली कम्पनियों ने 'एम.वी.सी.ए' के रास्ते गैर-कानूनी रूप से अतिरिक्त राशि वसूली थी, सी.ई.एस.सी. द्वारा 88 पैसे और डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. द्वारा 40 पैसे। अब कमीशन ने इस अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी को 1 या 2 पैसे कम करके मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से केवल कम्पनियों का ही फायदा होगा। राज्य सरकार द्वारा टैरिफ को 50% तक कम किया जाना चाहिए जैसा कि दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। ए.बी.ई.सी.ए. ने देश के बिजली उपभोक्ताओं से आगे आने और इन मांगों को हासिल करने के लिए दीर्घस्थाई आन्दोलन निर्मित करने का आह्वान किया है।

"Print-line

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."